608

5 रु. COURT भारत | 5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

समक्ष माननीयं अध्यक्ष राजस्व मण्डल म.प्र. केम्प भोपाल

प्रकरण क. निगरानी / 2015

निगरानी 1321-I-15

नवीन प्र०/1321/2015

श्री अनिल चंडोकर अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 28-5-15 को भोपाल केम्प पर प्रस्तुत।
28-5-15

पुष्टि इन्टरप्राईजेस प्रा. लिमि.
(वर्तमान नाम रिलायंस प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स प्रा. लिमि.)
कार्यालय स्थित 2, सिविल लाइन,
ऑपोजिट किलोल पार्क, भोपाल
द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
श्री राजेन्द्र गुप्ता आत्मज श्री पी.डी.गुप्ता .....आवेदक

विरूद्ध

30-5-15

1. राजकुमार पुत्र दमरूलाल
   निवासी सुभाष चौक, बासौदा
2. वीरेन्द्र कुमार पुत्र वृन्दावन लाल
   निवासी पिछला मण्डीगेट के पास बासौदा
3. पंकज जैन पुत्र विमलचन्द जैन
   निवासी शान्ति सदन,
   अम्बेडकर चौक के पास, बासौदा
4. दिनेश कुमार पुत्र पन्ना लाल जैन
   निवासी मण्डीगैट के पास बासौदा
5. रंजन बाबू
6. नियम कुमार
7. संयम कुमार
   क. 5, 6 एवं 7 पुत्रगण रतन चन्द जैन
   निवासी हनुमान चौक, नियम मेडिकल स्टोर
   गंजबासौदा जिला विदिशा .....अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

महोदय,

आवेदक प्रकरण क. 248 / अपील / 08–09 पुष्टि इन्टरप्राइजेस विरूद्ध राजकुमार व अन्य में अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक

3

09–03–2015 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी निर्धारित समयावधि में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रकरण के तथ्य :–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्र. 5, 6 एवं 7 की ओर से ग्राम फतेहपुर, तहसील बासौदा, जिला विदिशा, स्थित भूमि खसरा क्र. 37/3 रक़बा 3.136 हैक्टेयर तथा भूमि खसरा क्र. 40/2 रक़बा 3.136 हैक्टेयर का बटान किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र अधिनस्थ तहसीलदार बासौदा के समक्ष पेश कर सभी सम्बन्धित पक्षकारों को सूचनापत्र जारी किये गये थे। राजस्व निरीक्षक द्वारा बटान प्रस्ताव तैयार कर, सम्बन्धित पक्षकारों एवं सहकृषकों को मौके पर उपस्थित रहने के सूचना पत्र प्रेषित किये तथा सभी पक्षकारों की उपस्थिति में बटान प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार बासौदा के समक्ष पेश किया गया। प्रस्ताव पर कोई आपत्ति न होने से तहसीलदार बासौदा द्वारा बटान कायम किये जाने हेतु आदेश दिनांक 18–03–2005 को आदेश पारित किया। अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के पालन में विधिवत् भूमि के बटान कायम किये गये। बटान के अनुसार राजस्व अक्स में दोनों खसरों 37/3 एवं 40/2 की स्थिति साथ साथ दिखाई गई है।

यह कि अनावेदक क्र. 5, 6 एवं 7 ने दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन उपरान्त समस्त दस्तावेजों एवं मौके पर अवलोकन करके उक्त भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 23–11–2006 को आवेदक के पक्ष में पंजीयन कराया एवं स्थल पर भूमि का कब्जा खसरा क. 37/3 एवं 40/2 एकजाई भूमि के रूप में प्रदान किया उक्त दिनांक से ही आवेदक का स्वत्व एवं अधिपत्य है।

अनावेदक क्र. 1, 2, 3 व 4 द्वारा अधिनस्थ तहसीलदार बासौदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–03–2005 के विरूद्ध दिनांक 11–04–2008 को लगभग 3 वर्ष 24 दिन की समयावधि बाह्य अपील अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी बासौदा, जिला विदिशा, के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें न्यायालय के आदेशानुसार आवेदक को वाद

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1321-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.12.18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 248/अपील/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 5 से 7 द्वारा तहसीलदार बासौदा के न्यायालय में ग्राम फतेहपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 37/3 रकवा 3.136 हे. एवं सर्वे क्र. 40/2 रकवा 3.136 हे. भूमि पर बंटान कायम किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट एवं पंचनामा प्राप्त कर राजस्व् निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटान स्वीकृत कर नक्शा में बंटान कायम किये जाने के आदेश जारी किये। जिसके विरुद्ध अनावेदक क्र. 1 से 4 की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण पुन: सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 09.03.2015 द्वारा अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनुविभागीय अधिकारी बासौदा के न्यायालय के समक्ष लंबित अपील के साथ अनावेदक क्र. 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत विलंब क्षमा किये जाने का आवेदन-पत्र विचाराधीन था, जिसमें सर्वप्रथम यह देखना आवश्यक होता है कि	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	

आवेदन-पत्र में उल्लेखित कारणों का न्यायालय के समक्ष संतुष्ट करने का पर्याप्त आधार हो तथा प्रस्तुत करने में दिन-प्रतिदिन का विलंब स्पष्टीकरण दिया गया हो, जबकि अनावेदक क्र. 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत अपील 3 वर्ष 24 दिन के विलंब से प्रस्तुत की गई थी। उसके पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित कर विलंब क्षमा करते हुए अनावेदक की अपील स्वीकार करके गम्भीर वैधानिक भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में समयावधि के बिन्दु को पूर्ण रूप से अनदेखा करते हुए आवेदक कंपनी के हितों के विपरीत जो आदेश पारित किया गया है वह स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश नहीं है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 के क्रियान्वयन में अधीनस्थ तहसील न्यायालय बासौदा द्वारा प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जिससे आवेदक कंपनी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आवेदक कंपनी द्वारा भूमि क्रय करने से पूर्व अनावेदक क्र. 5 लगायत 7 द्वारा पूर्व में ही भूमि का बटान तहसील न्यायालय से स्वीकृत कराया गया था, ऐसी स्थिति में यदि अधीनस्थ तहसील न्यायालय बासौदा द्वारा प्रकरण में पुन: सुनवाई की जाकर वर्ष 2005 की कार्यवाही पुन: प्रारंभ की जाती है तो आवेदक कंपनी के पक्ष में निष्पादित विक्रय-पत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, क्योंकि आवेदक कंपनी द्वारा भूमि खसरा नं. 37/3 एवं 40/2 एकजाई भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज बटांकन अनुसार अनावेदक 5, 6 एवं 7 से क्रय की है।

4/ अनावेदक अधिवक्ता को लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 12.12.2018 को 7 दिवस का समय दिया गया था, परंतु उनकी ओर से आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अत: प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर किया जा रहा है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण

(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1321-एक/15 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से मौके की रिपोर्ट एवं पंचनामा मगाये जाने के उपरांत बंटान आदेश जारी किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का सूक्ष्मता से अध्ययन एवं अवलोकन कर इस आधार पर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है कि विचारण न्यायालय के आदेश में लिखा गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सभी संबंधित पक्षकार को सूचना-पत्र जारी किया गया है जबकि अनावेदक क्र. 1 लगायत 4 को कोई सूचना-पत्र जारी नहीं किए गए हैं जबकि अनावेदक क्र. 1 से 4 हितबद्ध पक्षकार थे। उक्त आधार पर अनविभागीय अधिकारी द्वारा धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया गया एवं विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर आदेश पारित किया जाए। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में की है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होकर स्थिर रखे जाने योग्य हैं। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	